न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 47 / 2023 (उदयपुर डिक्री)

1. श्रीमती देउ बाई पुत्री प्रथा जी डांगी पत्नी वक्ता जी डांगी, निवासी साकरिया खेडी हाल निवास महाराज की खेड़ी, गाडरियावास, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती घीसा बाई पुत्री प्रथा जी डांगी पत्नी नारायण जी डांगी, निवासी साकरिया खेडी हाल निवास बाठेडा की सराय, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. भेरा पिता प्रथा जी डांगी, निवासी साकरिया खेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. भजा पिता प्रथा जी डांगी, निवासी साकरिया खेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. किका पिता प्रथा जी डांगी, निवासी साकरिया खेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. शंकरलाल पिता नारू जी डांगी, निवासी भीमल, माताजी के पास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. हीरालाल पिता नारू जी डांगी, निवासी भीमल, माताजी के पास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
6. रामलाल पिता नारू जी डांगी, निवासी भीमल, माताजी के पास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

6/1. नितिन पुत्र रामलाल नाबालिग जरिये संरक्षक बड़ा पाता हीरालाल पिता नारू जी डांगी, निवासी भीमल, माताजी के पास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

6/2. सुश्री कृष्णा पुत्री रामलाल नाबालिग जरिये संरक्षक बड़ा पाता हीरालाल पिता नारू जी डांगी, निवासी भीमल, माताजी के पास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

7. श्रीमती भमरी पुत्री नारू जी डांगी, निवासी भीमल, माताजी के पास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
8. भेरा पिता वरदा जी डांगी, निवासी साकरिया खेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
9. रूपा पिता वरदा जी डांगी, निवासी साकरिया खेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:40:41 IST
Reason: SelfAttested

10. माना पिता वरदा जी डांगी, निवासी साकरिया खेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

10 ⁄ 1. देवीलाल पिता माना डांगी, निवासी साकरिया खेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.) फोत के बजाय

10 ⁄ 2. रोडी पुत्री माना जी डांगी पत्नी केवलराम जी, निवासी धोलाकुटा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

10 ⁄ 3. श्रीमती केसी पुत्री माना जी डांगी पत्नी हीरालाल जी, निवासी गोवला, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

11. कन्हैयालाल पिता नन्दा जी डांगी, निवासी राणाकुई नलवा जी का खेड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

12. उदयलाल पिता कालु जी डांगी, निवासी साकरिया खेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

13. सवा पिता भगा जी डांगी, निवासी साकरिया खेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

13 ⁄ 1. जेतराम पिता सवा जी डांगी, निवासी साकरिया खेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

13 ⁄ 2. कमला पिता सवा जी डांगी, निवासी साकरिया खेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

13/2/1. राजु पिता कमला जी डांगी, निवासी साकरिया खेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

13/2/2. ललिता पुत्री कमला जी डांगी, निवासी साकरिया खेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

13/2/3. गुड्‌डी पुत्री कमला जी डांगी, निवासी साकरिया खेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

13/2/4. सीमा पुत्री कमला जी डांगी, निवासी साकरिया खेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

13/2/5. राधा पत्नी कमला जी डांगी, निवासी साकरिया खेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

14. श्रीमती टांकु बेवा तेजा जी डांगी, निवासी साकरिया खेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

15. श्रीमती घासी पुत्री भगा जी डांगी, निवासी साकरिया खेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, [illegible]र, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:40:41 IST
Reason: SelfAttested

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा॰ का॰ अ॰
1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक
कलक्टर (फास्ट ट्रेक) वल्लभनगर, दि॰
19.04.2023 प्रकरण संख्या 84/2021

———/———

उपस्थित :— 1— श्री तुलसीराम डांगी अभिभाषक अपीलान्टगण
2— श्री भूरालाल डांगी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1
3— श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रे. 16

———::———

निर्णय **दिनांक 20—06—2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम राणाकुई में वाद पत्र के कलम संख्या 1 के परिशिष्ट ''क'' की आराजी नंबर 4/1क, 9/1ग कुल किता 2 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/4 हिस्सा है। इसी प्रकार परिशिष्ट ''ख'' की आराजी नंबर 4/14ग, 5/3 कुल किता 2 रकबा 69 बीघा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 4 से 17 का 1/4 हिस्सा है। उक्त आराजियात संयुक्त खातेदारी की होकर पक्षकारान अपने—अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहें हैं, किन्तु प्रतिवादीगण बिना भौतिक बंटवारा कराये भूमि अन्य को हस्तान्तरण करने पर आमादा हैं। इसलिए विवादित आराजियात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाना आवश्यक है। अतः विवादित आराजियात का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19—04—2023 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 10—07—2023 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री भूरालाल डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 16 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहसें सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:40:41 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात अपीलान्टगण की मौरूसी होकर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार अपीलान्टगण का जन्म से हक अधिकार निहित है, लेकिन अपीलान्ट के पिता के प्रथा जी के निधन के बाद नामान्तरकरण प्रथा के चारों पुत्रों के नाम खोला गया, अपीलान्टगण का नाम विरासत से नहीं खोला गया, जबकि अपीलान्टगण का भी भाईयों के समान हक व हिस्सा है, जिसके लिए अपीलान्टगण ने घोषणा का वाद अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है, लेकिन रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अपीलाधीन निर्णय में अपीलान्टगण को बिना पक्षकार बनाये वाद प्रस्तुत कर अपीलान्टगण के पीठ पीछे डिक्री प्राप्त कर ली, जिससे अपीलान्टगण के हक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। अतः प्रार्थी/अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय हाजा में आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपीलान्टगण प्रथा जी की पुत्रियां होकर विवादित आराजियात के संबंध में उनका घोषणा एवं निषेधाज्ञा का वाद संख्या 78/2018 अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। तद्नुसार अपीलान्टगण हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

अपील देरी से प्रस्तुत किये जाने के कारण अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं निवेदन किया कि दिनांक 20–06–2023 को अपीलान्ट अपने खेत पर काम कर रहे थे तो संबंधित पटवारी हल्का मौके पर आये और नपती करने लगे, तब प्रथम बार उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि अपीलान्टगण अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे, ऐसी स्थिति में उन्हें पूर्व में उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं है। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजियात अपीलान्टगण की मौरूसी भूमि होकर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार उनका जन्म से हक व अधिकार निहित है, अपीलान्ट के भाई रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:40:41 IST
Reason: SelfAttested

से 3 व मृतक दूदा ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर विरासत का नामान्तकरण अपने नाम स्वीकृत करवा लिया, जबकि विवादित आराजियात में अपीलान्टगण का भी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 के समान हक हिस्सा होकर प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा है एवं इस बाबत् उनका घोषणा का वाद अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन रेस्पोन्डेन्टगण ने अधिनस्थ न्यायालय को मुगालते में रखकर अपीलान्टगण को बिना पक्षकार बनाये विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री प्राप्त कर ली है, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने रेकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। हमारे द्वारा उपर किये गये विवेचन से यह सुस्पष्ट है कि अपीलान्टगण प्रथा जी की पुत्रियां होकर वादी भेरा व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की सगी बहने हैं, लेकिन वादी भेरा ने अधिनस्थ न्यायालय में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया है, जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार पुत्रियों का भी पुत्र के समान ही हक अधिकार निहित होता है। ऐसी स्थिति में हम अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय किया जाना उचित समझते हैं। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 19–04–2023 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्टगण को प्रतिवादीगण के रूप में संस्थित कर एवं उन्हें सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 08–08–2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 20–06–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
प्रदेश राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:40:41 IST
Reason: SelfAttested